

26/4/2024 वकुलाए कसकम उपस्थित/PU माह ० अमजरी  
मे आत है। पत्रावली उपस्थित  
पत्रावली दिनांक 16/5/2024  
को पत्र हो ५

16/5/2024 वकुलाए कसकम उपस्थित/PU माह ० अमजरी  
मे आत है। पत्रावली उपस्थित  
पत्रावली दिनांक 20/5/2024  
को पत्र हो ५

20/5/2024 वकुलाए कसकम उपस्थित/PU माह ० अमजरी  
मे आत है। पत्रावली उपस्थित को रिपोर्ट तदनुसार (पत्रावली)  
पत्रावली दिनांक 20/5/2024  
को पत्र हो ५

30/5/2024 वकुलाए फरिडकोन उपस्थित। अथवा वं.। अमजरी  
हो पूर्व में कई अक्षर दिखे जा लगे हैं अतः वास्तविक  
में अक्षर अक्षर दिख पाया है। पत्रावली आदि  
ता 06/6/2024 को पत्र हो ५

वकुलाए फरिडकोन उपस्थित अथवा वं.। अमजरी  
हो पूर्व में कई अक्षर दिखे जा लगे हैं, अतः वा-  
स्तविक अक्षर अक्षर दिख पाया है। पत्रावली आदि  
ता 06/6/2024 को पत्र हो ५

10.6.2024 वकुलाए फरिडकोन उपस्थित अथवा वं.। अमजरी  
हो पूर्व में कई अक्षर दिखे जा लगे हैं, अतः वा-  
स्तविक अक्षर अक्षर दिख पाया है। पत्रावली आदि  
ता 06/6/2024 को पत्र हो ५

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

क्रमांक/रीडर/2024/261

दिनांक 11.6.2024

तहसीलदार राजस्व  
सुबह-पल्लू

मुकदमा संख्या : मुकदमा संख्या : 14/2022 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :-

रामलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-अप्रार्थीगण

3. मुखराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. अशोक पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. संजय पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 10.06.2024 को निर्णय करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 केकेएम के प.नं. 220/33(19) कि.नं 15, 16, 25 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 है. भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रास्ता के बदले में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की कि.नं. 6 की पूर्वी दक्षिणी कोने की 1 बिस्वा भूमि को छोड़कर 0.039 है. भूमि दक्षिणी पासा की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर